75

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–918/ 1655 नवा रायपुर, दिनांक 09/07/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परितर्वत विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– **आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर मैनेजर टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमि. द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भ:– 1. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क एफ 5–06/2024/10–2 दिनांक 13.06.2024

2. वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल का पत्र क/तक.अधि./1510 दिनांक 04.07.2024

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 03 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

प्रेक्षा अनुसार जानकारी संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल द्वारा अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

क्र.	वांछित जानकारी	टीप
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 14 के चेकलिस्ट कमांक 3 में आरक्षित वन भूमि रकबा 0.414 हे. तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 0.305 हे. लेख है वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 14 में प्रदायित कॉलम एवं अन्यत्र वन क्षेत्र के विवरण में आरक्षित वन भूमि 0.346 हे. तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 0.190 हे. लेख किया गया है । कृपया स्थिति स्पष्ट करे।	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 14 के चेकलिस्ट कमांक 3 में आरक्षित वन भूमि रकबा 0.414 हे. तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 0.305 हे. लिपिकीय त्रुटिवश दर्शित हो गया था जिसे सुधार कर लिया गया है। इस प्रकार वन क्षेत्र के विवरण में आरक्षित वन भूमि 0.346 हे. तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 0.190 हे. कुल रकबा 0.536 हे. सही है। सुधार उपरांत पुनः **चेकलिस्ट कमांक 03 की छायाप्रति** संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 36 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित भाग–3 में व्यपवर्तन हेतु मांग की गई वन क्षेत्र 0.719 हे. प्रस्तावित किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 37 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित भाग–4 में 0.536 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है । कृपया स्थिति स्पष्ट करे।	मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित भाग–3 में व्यपवर्तन हेतु मांग की गई वन क्षेत्र 0.536 हे. प्रस्तावित किया गया है जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित भाग–4 में 0.536 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है । पुनः वन क्षेत्र 0.536 हे. का मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित **भाग–3 की छायाप्रति** संलग्न है।

76

3.	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 38 में वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के बिन्दु कमांक 10 में वन मंडलाधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं है किन्तु आवेदित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के 10 वर्ग कि.मी के अंतर्गत आता है वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 47 के चेक लिस्ट कमांक 17 में लेख है कि, प्रस्तावित वन क्षेत्र वन्य प्राणी अभ्यारण्य नहीं है तथा राष्ट्रीय उद्यान या हाथी कॉरीडोर से 10 कि.मी अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी या हाथी कॉरीडोर प्रस्तावित नहीं है एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। यह विरोधाभाषी प्रतीत होता है।	वन मंडलाधिकारी के संदर्भ पत्र–2 द्वारा प्रेषित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पृष्ठ कमांक 38 के प्रपत्र–3 के बिन्दु कमांक 10 में उक्त प्रस्तावित 0.536 हे. वन क्षेत्र के 10 कि.मी की परिधि में कोई भी अन्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति भी नहीं है परंतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के 10 कि.मी की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है। **प्रपत्र–3 की छायाप्रति संलग्न है।** साथ ही प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 47 के चेक लिस्ट कमांक 17 में प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन क्षेत्र के 10 कि.मी की परिधि में कोई भी अन्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति भी नहीं है परंतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के 10 कि.मी की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है। **चेक लिस्ट कमांक 17 की छायाप्रति संलग्न है।**

अतः चाही गई वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–918/ 1656 — नवा रायपुर, दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, कवर्धा वनमंडल, कवर्धा, छत्तीसगढ़।
3. **Telesonic Networks Limited,** 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

- 124 -OFC Line Letter 2024.doc

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230 E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / ....1510 कवर्धा, दिनांक :— 4 /07/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध / (सं. एवं सं.)
छत्तीसगढ़

विषय :— कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network प्रा.लिमिटेड द्वारा 4G OFC Cable line Banjari to Bodla Village in Kawardha Division हेतु क्षेत्रफल 0.536 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव। (पंजीयन क्र. — FP/CG/OFC/154845/2022)

संदर्भ :— आपका पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध–ए / 115–918 / 1461 दिनांक 19.06.2024 ।

—✡✡✡—

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में प्रस्ताव में लगायी गई आपत्ति / त्रुटि में आवश्यक सुधार कर बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :—

बिन्दु क्र.(01) प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 14 के चेक लिस्ट क्रमांक 03 में आरक्षित वन भूमि रकबा 0.414 हे. तथा संरक्षित वनभूमि रकबा 0.305 हे. लिपिकीय त्रुटिवश दर्शित हो गया था है जिसे आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे. एवं संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. कुल रकबा 0.536 हे. सही है जिसमें आवश्यक सुधार करने का कष्ट करें।

बिन्दु क्र.(02) प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 36 एवं 37 में आवश्यक सुधार वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्र.(03) प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 38 के प्रपत्र–3 (वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन) के बिन्दु क्रमांक 10 में उक्त प्रस्तावित आवेदित वनक्षेत्र अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है, न ही आवेदित वनक्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

पृ.क्र. / तक.अधि. / ....1511 कवर्धा,दिनांक :— 4 / 7 /2024

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. Telesonic Networks Limited.3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

विविध-ए(A)

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. ....
दि. ....

प्रपत्र –03

वन संरक्षण अधिनियम ,1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	रियोजना का नाम	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित हैं। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे.,संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हे.		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	0.536 हे.		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कबीरधाम	कवर्धा	बंजारी से बोड़ला
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण :–	वनखण्ड	कक्ष/खसरा क्रमांक	आवेदित रकबा (हे. में)
	क. आरक्षित वनभूमि	बंजारी	RF 60	0.056
		बंजारी	RF 61	0.112
		बंजारी	RF 63	0.008
		बंजारी	RF 64	0.017
		बंजारी	RF 65	0.153
		योग :–		**0.346**
	ख. संरक्षित वनभूमि	चोरभट्टी	PF 313	0.097
		बोड़ला	PF 315	0.093
		योग :–		**0.190**
	ग. राजस्व वनभूमि	—	—	**0.000**
		कुल योग :–		**0.536 ha.**
6	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ–वे सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है।		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट–ऑफ–वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सामान्य है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी.ध्वन मार्ग आदि)से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	—		

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व,प्राकृतिक झील/ वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां,तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित वनक्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है।
11	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघंन किया गया है या नहीं? यदि हां,तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं किया गया है।

<u>प्रमाण—पत्र</u>

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :— परिक्षेत्र कवर्धा
दिनांक :— 05.10.2023

(सही/—)
चूड़ामणि सिंह
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला—कबीरधाम (छ0ग0)

शशि कुमार
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला—कबीरधाम (छ0ग0)

(चेक लिस्ट क्रमांक –17)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित हैं जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हे. वनभूमि का वनसंरक्षण अधिनियम,1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदित वनक्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है, परंतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है।

(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)